

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 12-8-21

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 254

मुकदमा नंबर 14/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उमेदा वल्द अखाराम जाति मेघवाल निवासी - देवरिया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. मांगीलाल वल्द रूकडराम 2. ठाकरराम वल्द रूकडराम 3. कानाराम वल्द गुमनाराम 4. कुंभाराम वल्द बुधाराम 5. भूराराम वल्द कुंभाराम 6. भगाराम वल्द कुंभाराम 7. सोहनराम वल्द कुंभाराम 8. कालुराम वल्द जवाराराम 9. ईश्वरलाल वल्द बुधाराम सभी जाति मेघवाल, निवासीयान - देवरिया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।
2. देवला उर्फ देवाराम अखाराम जाति मेघवाल निवासी- देवरिया तहसील, पचपदरा जिला बाडमेर ।		



आदेश

दिनांक :- 12.08.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा देवरिया पटवार क्षेत्र नागाणा तहसील पचपदरा में मूल खसरा 122 रकबा 07.01 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :- 12-8-21

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 255-259

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना मंडली को पालना हेतु
3. पटवारी क्षेत्र कुड़ी तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण उमेदा वल्द अखाराम जाति मेघवाल निवासी - देवरिया तहसील पचपदरा
5. विप्रार्थीगण मांगीलाल वल्द रूकडराम जाति मेघवाल, निवासीयान - देवरिया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

